

The state has a single Completion-cum-Occupancy certificate.

The complete building plan is submitted by third party (authorised architect) based on which the government provides completion certificate. The completion certificate itself is the occupancy certificate.

The details can be accessed at Annexure 2 of Building Bye laws 2008 (Page no. 90) which can be accessed at http://awas.up.nic.in/B-B-L-nov_08%20Final/Bldg.Bye%20Laws%20main%20text.pdf

अनुलग्नक—2
(पृष्ठ 1/2)

**उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा—15ए
के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण—पत्र प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया
(उपविधि संख्या—2.1.8 एवं 3.1.8)**

- | | |
|---|---|
| 1. वर्गीकरण | <p>(I) “आवासीय भवन” हेतु “प्रपत्र—अ”
टिप्पणी: 300 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों पर आवासीय भवन हेतु पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।</p> <p>(II) “ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक एवं बहुखण्डीय भवनों” हेतु “प्रपत्र—ब”।</p> <p>(III) आवासीय भवन, ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक एवं बहुखण्डीय भवनों के अतिरिक्त सभी प्रकार के भवनों हेतु “प्रपत्र—स”।</p> <p>(IV) “ले—आउट प्लान” हेतु “प्रपत्र—द”।</p> |
| 2. अभिलेखों का जमा किया जाना | <p>परिषद अनुज्ञापित व्यक्ति के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र पर पूर्णता मानचित्र की तीन प्रतियों तथा दो प्रतियों में निम्नलिखित अभिलेखों के साथ पूर्णता की नोटिस दी जाएगी :—</p> <p>(i) चार मंजिल से अधिक अथवा 15 मीटर एवं अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा—शैक्षिक, असेम्बली, संस्थागत, औद्योगिक, संग्रहण एवं संकटमय उपयोग वाले भवनों तथा उपर्युक्त उपयोगों के मिश्रित अधिवासों वाले भवनों, जिनका भू—आच्छादन 500 वर्गमीटर से अधिक हो, हेतु अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र।</p> <p>(ii) भूतल सहित तीन मंजिलों से अधिक ऊँचे भवनों की संरचनात्मक रितरता एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में परिषद द्वारा अनुज्ञापित व्यक्ति का प्रमाण—पत्र।</p> |
| 3. परीक्षण एवं जॉच | <p>पूर्णता की नोटिस प्राप्त होने पर उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विभिन्न श्रेणी के भवनों हेतु समय—समय पर निर्धारित प्रक्रियानुसार ‘रेन्डम बेसिस’ पर चयनित नोटिसों का परीक्षण किया जाएगा। किन्तु व्यवसायिक एवं ग्रुप हाउसिंग के समस्त भवनों के नोटिसों की जॉच/परीक्षण किया जाएगा तथा परिषद द्वारा प्रतिशत निर्धारण एवं ‘रेन्डम सलेक्शन’ की प्रक्रिया का निर्धारण होने तक व्यवसायिक एवं ग्रुप हाउसिंग के अतिरिक्त अन्य भवनों का परीक्षण/जॉच नहीं की जाएगी।</p> |
| 4. पूर्णता प्रमाण—पत्र | <p>अनुज्ञापित व्यक्ति/आर्किटेक्ट की रिपोर्ट अथवा जॉच के आधार पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार विकास कार्य पाए जाने पर उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर पूर्णता प्रमाण—पत्र जारी किया जाएगा।</p> |
| 5. पूर्णता प्रमाण—पत्र अस्वीकार करना | <p>जॉच/परीक्षण में स्वीकृत अथवा शमनित मानचित्र विकास कार्यों के अनुरूप विकास/निर्माण न पाए जाने की रिति में उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र की स्वीकृति को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा उसके कारणों सहित आवेदक को आवेदन करने के 90 दिनों के भीतर सूचित कर दिया जाएगा, अन्यथा ऐसा नहीं करने पर परिषद द्वारा पूर्णता प्रमाण—पत्र स्वीकृत किया माना जाएगा।</p> |

अनुलग्नक-2
(पृष्ठ 2/2)

- | | |
|---|---|
| <p>6. अस्वीकृति का पुनरीक्षण</p> | <p>आवेदक द्वारा अस्वीकृति के कारणों से असंतुष्ट होने की स्थिति में अस्वीकृति की सूचना के दिनांक से 6 सप्ताह के भीतर उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण के आधार व कारणों सहित पुनरीक्षण हेतु आवेदन कर सकेगा।</p> |
| <p>7. पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु पुनः आवेदन</p> | <p>पूर्णता प्रमाण पत्र को अस्वीकार करने की दशा में अस्वीकृति के कारणों के समाधान करने के साथ पुनः नया आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।</p> |
| <p>8. अपील</p> | <p>अस्वीकृति के आदेश जारी होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर प्रभावित व्यक्ति द्वारा अध्यक्ष के समक्ष अपील की जा सकेगी जिस पर अपीलकर्ता एवं यदि आवश्यक हो तो उपाध्यक्ष के प्रतिनिधि को पर्याप्त सुनवाई का अवसर देते हुए, अपील को निरस्त करने अथवा यथा आवश्यक संशोधन अथवा प्रतिबन्धों के साथ पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्देशित कर सकते हैं।</p> |